

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 22/2008 प्रार्थना पत्र 14(4)

मंदिर कुटी श्री गणेशदास जी महाराज ग्राम आलूदा जरिये भक्तगण:-

1. प्रभातीलाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी डागोलाई
2. रामावतार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति मीना निवासी डागोलाई
3. रामजीलाल पुत्र घासीलाल जाति मीना निवासी इटारडा
4. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल मीना निवासी इटारडा
5. जगन्नाथ पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी आलूदा
6. जयदेवा पुत्र भोरीलाल जाति मीना निवासी आलूदा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा(हाल तहसील नांगल राजावतान)
2. आवंटन सलाहकार समिति दौसा जरिये उपखंड अधिकारी, दौसा
3. पूरण पुत्र भूरया जाति बैरवा निवासी अलूदा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरुद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा दिनांक 18.9.1969 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है व जिसका मुकदमा नंबर 09/69 है।



- उपस्थिति : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

--: निर्णय :-

दिनांक: 24.9.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा ने दिनांक 18.9.1969 को अप्रार्थी नंबर 3 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 14(4) पेश किया गया है।

h

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 03 को दिनांक 18.9.1969 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1751 रकबा 0.36 है 0 खसरा नंबर 1752 रकबा 0.05 है 0 खसरा नंबर 1753 रकबा 0.09 है 0 बने है, का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन विधि सम्मत प्रक्रिया के विपरीत एवं आवंटन रूल्स के समस्त नियमों की अवहेलना करके किया गया है। उक्त भूमि आवंटन के समय आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। आवंटन के दिन कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी नंबर 3 को भूमि का आवंटन कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है। आवंटित भूमि पर मंदिर कुटी गणेशदास जी महाराज का कब्जा आवंटन के पूर्व से चला आ रहा है व आज भी कब्जा है। उक्त भूमि में गणेशदास जी महाराज का मेला भरता है एवं पशुओं के इकट्ठा होने के काम आती है। प्रश्नगत भूमि काश्त योग्य नहीं है। अतः आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा दिनांक 18.9.1969 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा द्वारा दिनांक 18.9.1969 को अप्रार्थी संख्या 3 पूरण पुत्र भूरया बैरवा को साबिक खसरा नं० 496 में से 02 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा ने भूमि का आवंटन वर्ष 1969 में किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र लगभग 35 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोरम में आवंटन किया गया है जो नियमानुसार सही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं० 03 बाद रजिस्टर्ड नोटिस के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार नांगल राजावतान ने रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया है कि ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 496 हाल खसरा नंबर 1754 रकबा 0.12 है 0, खसरा नंबर 1755 रकबा 0.05 है 0 खसरा नंबर 1756 रकबा 0.12 है 0, 1757/5732 रकबा 0.22 है 0 खातेदार ज्याना देवी पत्नि प्रभात्या, जगदीश प्रसाद, दुर्गालाल, भगवानसहाय, छोटूराम, हेमराज, धन्नलाल पि० प्रभात्या जाति बलाई के नाम दर्ज है, जिसमें से खसरा नंबर 1757/5732 रकबा 0.22 है 0 में से 0.11 है, मंदिर परिसर चारदीवारी से बाहर है शेष संपूर्ण भूमि अंदर है जो मौके पर खाली है। खसरा नंबर 1751 रकबा 0.36 है, खसरा नंबर 1752 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 1753 रकबा 0.09 है, कुल किता 3 रकबा 0.50 है। खातेदार पूरण पुत्र भूरा जाति बलाई निवासी आलूदा के नाम दर्ज है, जो मौके पर खाली है।

h.

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं० 3 को बार बार आवाज लगाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 496 वर्तमान खसरा नंबर 1751 रकबा 0.36 है, खसरा नंबर 1752 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 1753 रकबा 0.09 है, कुल किता 3 रकबा 0.50 है। खातेदार पूरण पुत्र भूरा जाति बलाई निवासी आलूदा के नाम दर्ज है, जिसमें खसरा नंबर 1751 रकबा 0.36 है। में से 0.30 है 0 भूमि चारदीवारी मंदिर परिसर से बाहर है, शेष संपूर्ण भूमि अंदर है जो मौके पर खाली है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कैम्प आलूदा में आवंटन किया गया है जिस पर तहसीलदार एवं सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन उचित नहीं है कि कोरम की बैठक पूर्ण नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा ही भूमि का आवंटन किया गया है। कैम्प आलूदा में किया गया भूमि का आवंटन सही है। इसलिए प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति की मुकाम आलूदा में बैठक में दिनांक 18.9.1969 के द्वारा अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आवंटनी को भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा